भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2529

दिनांक 06 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

पशुधन बीमा

2529. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अनुसार ऊंट, खच्चर, गधे और घोड़ों के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए किसानों, व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख रुपये तक की राजसहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाने और इसके तहत किसानों के लिए प्रीमियम के लाभार्थी हिस्से को कम करने का कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का पशुपालकों को न्यूनतम राशि का भुगतान करके अपने पशुओं का बीमा कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हां। सरकार ऊंटों, खच्चरों, गधों और घोड़ों के लिए प्रजनन फार्मों की स्थापना हेतु व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और धारा 8 कंपनियों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

(ख) और (ग) जी हां। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में पशुधन बीमा कार्यकलाप के तहत संशोधन के साथ निम्नलिखित सरलीकरण किया गया है:

i) सभी श्रेणियों और क्षेत्रों के लिए प्रीमियम में लाभार्थी का हिस्सा 20-50% के बजाय घटाकर 15% कर दिया गया है।

ii) प्रीमियम का शेष हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा 60:40 (पर्वतीय/उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों हेतु) 90:10 (पर्वतीय/उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए) से लेकर 100% (संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) की दर से सरकार के निधियन पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।

iii) बीमा के लिए पात्र पशुओं की संख्या 5 गोपशु इकाई से बढ़ाकर 10 गोपशु इकाई प्रति परिवार कर दी गई है, सिवाय सूअर और खरगोश के, जिनके लिए पशुओं की संख्या 5 गोपशु इकाई प्रति परिवार रहेगी। (1 गोपशु इकाई = 10 छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश)।

iv) बीमा कार्यक्रम के तहत पहचान की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त पशुओं की पहचान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरण (आरएफआईडी) को स्वीकृति दी गई है।

*****